



सरकारी गजट, उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेशीय सरकार द्वारा प्रकाशित

असाधारण

विधायी परिशिष्ट
भाग-4, खण्ड (ख)
(परिनियत आदेश)

लखनऊ, मंगलवार, 23 मार्च, 2021

चैत्र 2, 1943 शक सम्वत्

उत्तर प्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन अनुभाग

संख्या 1009/तीन-2020-47-2(1)-09

लखनऊ, 23 मार्च, 2021

अधिसूचना

प0आ0-82

चूँकि, भारतीय सेना का आसन फील्ड फायरिंग रेन्ज (एएफएफआर) जिला सहारनपुर, उत्तर प्रदेश के आरक्षित वन क्षेत्र में अवस्थित है;

और, चूँकि, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय (वन संरक्षण प्रभाग) भारत सरकार ने, अपने पत्र संख्या एफ संख्या 8-20/2016-एफसी दिनांक 10 अप्रैल, 2018 द्वारा राज्य सरकार के प्रस्ताव का परीक्षण करने के पश्चात तथा वन संरक्षण अधिनियम, 1980 (अधिनियम संख्या 69 सन् 1980) की धारा 3 के अधीन केन्द्र सरकार द्वारा गठित वन सलाहकार समिति की सिफारिशों के आधार पर पूर्वोक्त फायरिंग रेन्ज के लिये 25885.64 हेक्टेयर वन भूमि के अपयोजन के नवीकरण के लिये सिद्धान्ततः अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

और, चूँकि, भारत सरकार के पूर्वोक्त मंत्रालय ने, उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 2966/81-2-2019-800(74)-2016, दिनांक 03 फरवरी, 2020 द्वारा प्रस्तुत अनुपालन रिपोर्ट के आधार पर, पूर्वोक्त अधिनियम सन् 1980 की धारा 2 के अधीन पत्र संख्या 8-20/2016 एफसी, दिनांक 06 मार्च, 2020 द्वारा अपना अंतिम अनुमोदन प्रदान कर दिया है।

अतएव, अब, युद्धाभ्यास और खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास अधिनियम, 1938 (अधिनियम संख्या 5 सन 1938) की धारा 9 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल नीचे अनुसूची में उल्लिखित भूमि को ऐसा क्षेत्र अधिसूचित करती हैं जिसमें दिनांक 01 जुलाई, 2020 से 30 जून, 2050 तक के लिये निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अधीन खुले क्षेत्र में गोला चलाने तथा तोप दागने का अभ्यास किया जाना समय-समय पर प्राधिकृत किया जा सकता है :-

1-अपयोजित वन भूमि की विधिक प्रास्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2-राजाजी राष्ट्रीय पार्क की सीमा में 10 किलोमीटर के भीतर आने वाले क्षेत्र का उपयोग गोलाबारी रेंज के लिये नहीं किया जायेगा।

- 3-हाथी आरक्षित क्षेत्र के अन्तर्गत रात्रि के समय शिविर वास (कैम्पिंग) की अनुज्ञा नहीं होगी।
- 4-भारतीय सेना यह सुनिश्चित करेगी कि कोई रोध/बाड़ परिनिर्मित न किये जाय जिससे कि हाथियों के प्राकृतिक संचलन में विघ्न पड़े।
- 5-भारतीय सेना को यह सुनिश्चित करना होगा कि हाथी प्रव्रजन मौसम और वन अग्नि मौसम के दौरान अभ्यास के प्रयोजनार्थ आसन फायरिंग रेन्ज का उपयोग निर्बन्धित रहेगा।
- 6-भारतीय सेना को यह सुनिश्चित करना होगा कि हाथी प्रव्रजन मार्ग का उपयोग न किया जाय।
- 7-गोलाबारी अभ्यास ऐसे ढलानों, नाला ढलानों और नाला तलों में किया जायेगा, जो वनस्पति रहित हों और हाथी प्रव्रजन मार्ग में न पड़ते हों और यह भी सुनिश्चित करना होगा कि उक्त का उपयोग चक्रानुक्रम रीति से किया जाय।
- 8-वन्य जीव को मानसिक आघात से बचाने के लिये गोलाबारी का अभ्यास वास्तविक अभ्यास के एक घण्टा पूर्व फायरिंग ब्लैक शाट्स से प्रारम्भ किया जायेगा।
- 9-भारतीय सेना वन क्षेत्रों के विभिन्न विषयों यथा खर पतवार उन्मूलन, अवैध कटान नियंत्रण, वन्यजीव शिकार चोरी और पर्यावरणीय/वन्य जागरूकता सृजन में उत्तम प्रबन्धन के लिये प्रभाग के पदाधिकारियों की सहायता/मदद करेगी।
- 10-भारतीय सेना को यह सुनिश्चित करना होगा कि वनस्पतियों, जीवों और जैव-अपयोजन विषयक गोलाबारी समाघात क्षेत्र वैज्ञानिक अध्ययन, वन अनुसंधान संस्थान, देहरादून के परामर्श से किया जा सके जो ऐसे अग्रतर प्रस्ताव का आधार होगा।
- 11-भारतीय सेना द्वारा गोलाबारी रेन्ज में कोई वृक्ष कटान नहीं किया जायेगा।
- 12-वन संरक्षण अधिनियम, 1980 तथा उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 57/81-2-2020-800(74)/2020, दिनांक 23 जून, 2020 के अनुसार अनुज्ञा, दिनांक 01 जुलाई, 2020 से दिनांक 30 जून, 2050 तक 30 वर्षों की अवधि के लिये प्रदान की गयी है।
- 13-भारतीय सेना द्वारा गोलाबारी रेन्ज में कोई निर्माण नहीं किया जायेगा/उसकी अनुज्ञा नहीं प्रदान की जायेगी।
- 14-यदि लागू हो तो उपयोक्ता अभिकरण को पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के उपबंधों के अनुसार पर्यावरण अनापत्ति प्राप्त करनी होगी।
- 15-गोलाबारी रेंज की अभिन्यास योजना में परिवर्तन केन्द्र सरकार की अनुज्ञा के बिना नहीं किया जायेगा।
- 16-भारतीय सेना या उसका कोई प्रतिनिधि, वनस्पति और प्राणी को हानि नहीं पहुँचायेगा। यदि हानि पहुँचाई जाती है, तो भारतीय सेना, प्रतिकर का संदाय करने के लिये उत्तरदायी होगी।
- 17-वन विभाग के अधिकारीगण/कर्मचारिवृन्द, जब कभी अपेक्षित हो किसी समय वन भूमि का निरीक्षण करेंगे।
- 18-वन भूमि का उपयोग परियोजनागत प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजन से भिन्न किसी प्रयोजनार्थ नहीं किया जायेगा और किन्ही परिस्थितियों में इसे किसी अन्य अभिकरण को अंतरित नहीं किया जायेगा।
- 19-भारतीय सेना, वन संरक्षण अधिनियम 1980 के अधीन दी गयी किन्हीं शर्तों का अतिक्रमण नहीं करेगी। किसी अतिक्रमण की स्थिति में पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार नई दिल्ली के पत्र संख्या एफ संख्या 5-2/2017-एफसी, दिनांक 28-3-2019, पत्र संख्या-8-20/2016 एफ0सी0, दिनांक 10-4-2018, पत्र संख्या 8-20/2016 एफ0सी0, दिनांक 06-3-2020 और उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 57/81-2-2020-800(74)/2020, दिनांक 23-06-2020 द्वारा जारी व्यापक मार्गदर्शक सिद्धान्त के प्रस्तर 1.21 के अनुसार कार्यवाही की जायेगी।
- 20-पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार, वन तथा वन्य जीव संरक्षण तथा विकास के हित में कोई अन्य शर्तें नियत कर सकती है और उनका अनुपालन राज्य सरकार तथा भारतीय सेना को करना होगा।
- 21-भारतीय सेना, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-8-20/2016 एफ0सी0, दिनांक 10-4-2018, पत्र संख्या-8-20/2016 एफ0सी0, दिनांक 06-3-2020 और उत्तर प्रदेश सरकार के पत्र संख्या 57/81-2-2020-800(74)/2020, दिनांक 23-6-2020 में दिये गये मार्गदर्शक सिद्धान्त/शर्तों का अनुसरण करेगी।
- 22-भारतीय सेना, गोलाबारी अभ्यास क्रियान्वित करने के पूर्व सम्बन्धित प्राधिकारियों को सूचित करेगी।
- 23-समस्त विधिक औपचारिकतायें गोलाबारी अभ्यास प्रारम्भ किये जाने के पूर्व क्रियान्वित की जायेंगी।
- 24-दिनांक 15 फरवरी से 15 जुलाई तक किसी गोलाबारी अभ्यास की अनुज्ञा नहीं दी जायेगी।

25-केन्द्र सरकार/राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर अधिकथित की गयी किन्हीं अन्य शर्तों का कार्यान्वयन भारतीय सेना द्वारा किया जायेगा।

26-गोलाबारी के समय चक्र की जाँच की जायेगी और यह सुनिश्चित किया जायेगा कि न दगने की स्थिति में उसे अक्रियाशील कर दिया जाय।

अनुसूची

जिला	तहसील	सेक्टर	वन ब्लॉक	कक्ष/उप कक्ष	क्षेत्रफल (हे० में)
सहारनपुर	बेहट	02	खारा	1, 2ए, 2बी	3927.90
			बादशाहीबाग	1ए, 1बी	3108.80
				योग	7036.70
		04	चपड़ी	1, 2ए, 2बी,	1720.33
			खैरौवाली	1ए, 1बी, 1सी, 2ए, 2बी	2109.67
			बड़कला	2ए, 2बी	2951.00
			शाकुम्भरी	1, 2ए, 2बी	1465.40
				योग	8246.40
		06	सहन्सरा	1, 2ए, 2बी	2752.60
			कोठरी	1ए, 1बी, 2ए, 2बी	1566.50
			कालूवाला	1ए, 1बी, 2ए, 2बी	2398.60
			शाहजहाँपुर	1ए, 1बी, 1सी, 2ए, 2बी, 2सी, 3ए, 3बी	3884.84
				योग	10602.54
				कुल योग	25885.64

टिप्पणी :- उक्त भूमि का स्थल नक्शा सहारनपुर के कलेक्टर और प्रभागीय वनाधिकारी, शिवालिक वन प्रभाग, सहारनपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है।

आज्ञा से,
जितेन्द्र कुमार,
प्रमुख सचिव।

THE Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no. 1009/III-2020-47-2(1)-09, dated March 23, 2021 for general information :

No. 1009/III-2020-47-2(1)-09

Dated Lucknow, March 23, 2021

WHEREAS, the Asan Field Firing range (AFFR) of the Indian Army is located in the reserved forest area of district Saharanpur, Uttar Pradesh;

AND, WHEREAS, the Ministry of Environment, Forests and Climate Change (Forest Conservation Division), Government of India vide its letter no. F.No. 8-20/2016-FC, dated 10 April, 2018 has granted in-principle approval for renewal of diversion of 25885.64 hectares of forest land for the aforesaid firing range, after examination of the proposal of the State Government and on the basis of the recommendations of the Forest Advisory Committee constituted by the Central Government under section 3 of the Forest Conservation Act, 1980 (Act no. 69 of 1980);

AND, WHEREAS, the aforesaid Ministry of the Government of India has granted its final approval under section 2 of the aforesaid Act of 1980 vide letter no. 8-20/2016-FC, dated 6 March, 2020 on the basis of the compliance report furnished by the Government of Uttar Pradesh vide letter no. 2966/81-2-2019/800(74)/2016, dated 03 February, 2020;

NOW, THEREFORE, in exercise of the powers under sub-section (1) of section 9 of the Manoeuvres, Field Firing and Artillery Practice Act, 1938 (Act no. V of 1938), the Governor is pleased to notify the land mentioned in the Schedule below as the area in which field firing and artillery practice can

be authorized from time to time in open areas of the said land from 01 July, 2020 to 30 June, 2050 subject to fulfilment of the following conditions :-

1. Legal status of the diverted forest land shall remain unchanged.
2. Area falling within 10km from the boundary of the Rajaji National Park shall not be used for firing range.
3. Night time camping shall not be allowed inside the elephant reserve.
4. Indian Army shall ensure that no barriers/fences are erected so that natural movement of elephants is not disturbed.
5. Indian Army shall ensure that the usage of Asan Firing Range for practice purposes shall be restricted during elephant migration season and forest fire season.
6. Indian Army shall ensure that the migration route of elephant will not be used.
7. Firing practice shall be carried out on slopes, nallah slopes and nallah beds which are devoid of vegetation and do not fall in migratory route of elephants, and it shall also be ensured that the same is used in a rotational manner.
8. Firing practice shall start with firing blank shots one hour prior to actual practice to avoid trauma to the wildlife.
9. The Indian Army shall help/assist officials of the division in better management of the forest areas in various issues like eradication of weeds, control of illicit felling, poaching of wildlife and creating environment/forest related awareness.
10. Indian Army shall ensure that the scientific study of firing impact area regarding flora, fauna and bio-diversion may be taken up in consultations with forest Research Institute, Dehradun which will become the basis for further such proposal.
11. No tree felling shall be done by the Indian Army in firing range.
12. As per Forest Conservation Act, 1980 and Uttar Pradesh Government letter no.-57/81-2-2020-800(74)/2020, dated 23 June, 2020 permission has been granted from 01 July, 2020 to June, 2050 for a period of 30 years.
13. No construction will be made/allowed in Firing Range by the Indian Army.
14. The user agency shall obtain environment clearance as per the provisions of the Environment (Protection) Act, 1986, if applicable.
15. The layout plan of the firing range will not be changed without permission from the Central Government.
16. Indian Army or any representative will not harm the flora and fauna. If it is harmed, the Indian Army shall be responsible to pay the compensation.
17. Officers/Staff of Forest Department will inspect the forest land at any time whenever required.
18. The forest land shall not be used for any purpose other than that specified in the project proposal, and under no circumstances shall it be transferred to any other agency.
19. Indian Army will not violate any conditions given under the Forest Conservation Act, 1980. In case of any violation, action would taken as per Para 1.21 of comprehensive guidelines issued *vide* Government of India, Ministry of Environment, Forest and Climate Change, New Delhi letter F.no. 5-2/2017-FC, dated 28-03-2019, letter no.-8-20/2016 F.C., dated 10-04-2018, letter no.-8-20/2016 F.C., dated 06-03-2020 and Uttar Pradesh Government letter no.-57/81-2-2020-800(74)/2020, dated 23-6-2020.
20. Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India may stipulate any other conditions from time to time in the interest of conservation, development of forest and wildlife and the same shall be carried out by the State Government and Indian Army.

21. Indian Army will follow the guidelines/conditions given in Ministry of Environment, Forest and Climate Change, Government of India, letter no.-8-20/2016 F.C., dated 10-04-2018, letter no. 8-20/2016 F.C., dated 06-03-2020 and Uttar Pradesh Government letter no. 57/81-2-2020-800(74)/2020, dated 23-6-2020.
22. Indian Army, will intimate the concerned authorities prior to carrying out firing practice.
23. All legal formalities shall be carried out before starting firing practice.
24. No Firing exercise will allowed from 15th February to 15th July.
25. Any other conditions laid down from time to time by the Central/State Government shall be implemented by the Indian Army.
26. At the time of firing, round shall be checked and it shall be ensured that in the case of misfire the same is be defused.

SCHEDULE

District	Tehsil	Sector	Forest Block	Compartment/Sub compartment	Area (Hectare)
Saharanpur	Behat	02	Khara	1, 2a, 2b	3927.90
			Badshahibag	1a, 1b	3108.80
				Total	7036.70
		04	Chapadi	1, 2a, 2b	1720.33
			Khairawali	1a, 1b, 1c, 2a, 2b	2109.67
			Badakala	2a, 2b	2951.00
			Shakumbri	1, 2a, 2b	1465.40
				Total	8246.40
		06	Sahansara	1, 2a, 2b	2752.60
			Kothari	1a, 1b, 2a, 2b	1566.50
			Kaloowala	1a, 1b, 2a, 2b	2398.60
			Shanjahanpur	1a, 1b, 1c, 2a, 2b, 2c, 3a, 3b	3884.84
				Total	10602.54
				Grand Total	25885.64

Note :- A site plan of the land specified above may be inspected in the office of the Collector of Saharanpur and Divisional Forest Officer, Shivalik Van Prabhag, Saharanpur.

By order,
 JITENDRA KUMAR,
Pramukh Sachiv.